माध्य० - 9

प्रेषक,

सेवा मे,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी।

प्रबन्धक,
आदर्श श्री वासुदेव इण्टर कालेज,
गुतवन, जौनपुर।

पत्र संख्या आई0बी0 मान्यता 4094 वाराणसी, दिनांक 27-10-2006

विषय : इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/~~अतिरिक्त (वर्ग/विषय)~~ की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 2008 की ~~हाईस्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त वर्ग/विषयों~~ में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 11 वी कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें।

(2) कक्षा संचालन की लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक से जिला विद्यालय निरीक्षक/परिषद कार्यालय को तत्काल भेजें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख)

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी वर्ग नवीन।	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र।

टिप्पणी (1) कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 40 छात्र उपलब्ध होने चाहिए।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव।

17/10/06

दिनांक

पृष्ठांकन संख्या आई0बी0 मान्यता।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक। जौनपुर।

(2) संयुक्त शिक्षा निदेशक। वाराणसी।

(3) इण्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग वाराणसी।

(4) सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव।

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 68 मा0शि0प0 -- 15-10-2005--20,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।